M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/उद्यान/2019-20/876 भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

(केवल अर्न्तकार्यालयीन उपयोग हेतु)

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त)

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय : दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि के लिये नोटीफाईड प्रोप्रायटरी संकर धान, मक्का ज्वार बाजरा एवं स्वीटकार्न बीजों के विक्रय दर

संदर्भ : निगम द्वारा आमंत्रित रेट कांट्रेक्ट आफर्स – प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 15 मई 2019

दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि के लिये नोटीफाईड प्रोप्रायटरी संकर धान, मक्का ज्वार बाजरा एवं स्वीट कार्न बीजों के प्रदाय हेतु निम्न आफरकर्ता के द्वारा अनुबंध निष्पादित किया गया है जिनकी दरों का अनुमोदन निम्नानुसार जारी किया जाता है :

क्र	आफरकर्ता का नाम	उत्पादक का नाम	फसल	धान की किस्म	विक्रय दर रू प्रति कि.ग्रा. एफ ओ आर डेस्टीनेशन
1	कावेरी सीड कम्पनी, 513 बी पंचम तल, मिनेरवा काम्पलेक्स , एस डी रोड सिकन्दराबाद	कावेरी सीड कम्पनी, 513 बी पंचम तल, मिनेरवा काम्पलेक्स , एस डी रोड सिकन्दराबाद	धान	के पी एच 473	282/..
			मक्का	के एम एच 3426	160/..
2	न्यूजीविडू सीड्स लि. , विजय नगर इन्दौर	न्यूजीविडू सीड्स लि. , विजय नगर इन्दौर	मक्का	एन एम एच 803	160/..
3	ओशो सीड्स, जे जे रोड बरेली जिला रायसेन	पायोनियर सीड्स प्रा.लि. बाबूखान मिलेनियम सेन्टर, राजभवन रोड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद	धान	27 पी 31	260/..
			बाजरा	86एम 86	250/..
4	सफायर ग्रीनटेक्नालाजी, शाप नम्बर 4 नेत्रप्रकाश आप्टीकल जयेन्द्रगंज जिला ग्वालियर	वी एन आर सीड्स प्रा. लि. , ग्राउन्ड फ्लॉर, कार्पोरेट सेन्टर, रिंग रोड नम्बर 1 रायपुर	धान	वी एन आर 2111 प्लस	282/..
			धान	वी एन आर 2245	260/..

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

क्र	आफरकर्ता का नाम	उत्पादक का नाम	फसल	धान की किस्म	विक्रय दर रू प्रति कि.ग्रा. एफ ओ आर डेस्टीनेशन
5	यू पी एल लिमिटेड कृष्णमा हाउस, # 8–2–418 , रोड नम्बर 7 , बंजारा हिल्स हैदराबाद	यू पी एल लिमिटेड कृष्णमा हाउस, # 8–2–418 , रोड नम्बर 7 , बंजारा हिल्स हैदराबाद	मक्का	एडीवी 756	180/..
6	किसान एग्रो इन्डस्ट्रीज, 422 सुहागी जबलपुर	गंगा कावेरी सीड्स प्रा.लि. 604 बाबूखान इस्टेट, बशीरबाग हैदराबाद	मक्का	जी के 3150	180/..
7	राक्स हार्टेड एग्री आर्गेनिक्स, सी एम 68,सेक्टर सी, शाहपुरा, भोपाल	मेटाहेलिक्स लाईफ साईन्स लि., 173, सिद्धार्थ फार्म , लसुडिया मोरी देवास नाका , इन्दौर	धान	डी आर एच 775	282/..
			बाजरा	एमपी 7872	250/..
8	अरूणा सीड्स, ए 235, शाहपुरा , प्रथम तल भोपाल	यू एस एग्री # 8–2–626/2, रोड नम्बर 10, श्रीकृष्णा हाउस तृतीय तल, बंजारा हिल्स, हैदराबाद	धान	यू एस 382	260/..
8	राईस एग्रो इन्फ्रा प्रा. लि. 315 प्रिंसेस बिजनेस स्कायपार्क, ए बी रोड, विजय नगर, इन्दौर	चेराईन पोकलेण्ड सीड्स इन्डिया प्रा. लि., 12/1 श्रीनिधि लेण्डमार्क , न्यू थिप्पासान्द्रा मेनरोड एचएएल III स्टेज बेंगलौर	मक्का	सी पी 333	160/..
9	आर जे बायोटेक, सिद्धार्थ आर्केड, रेल्वे स्टेशन रोड औरंगाबाद	आर जे बायोटेक, सिद्धार्थ आर्केड, रेल्वे स्टेशन रोड औरंगाबाद	मक्का	आर जे 2020	160/..

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु है, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिती में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिये निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

2. नोटीफाईड संकर बीजों की अनुमोदित उपर्युक्त दरों के संबंध में लेख है कि उत्पादक/प्रदायक द्वारा किसी भी व्यक्ति/संस्था को अनुबंधित दर से कम दर दी हो या स्वीकृत की हो, चाहे उस व्यक्ति/संस्था की शर्ते निगम के आर सी ओ की शर्तो से भिन्न हो तो उस दर की सूचना प्रदायक द्वारा निगम को देना होगी तथा प्रदायक का दायित्व होगा कि जब तक निगम उनके द्वारा सूचित दर के आधार पर नवीन दर अनुमोदन जारी न कर दे, तब तक प्रदायक निगम के माध्यम से कोई व्यवसाय नही कर सकेंगे। इसके विपरित स्थिति पाये जाने पर अन्तर की राशि वसूल की जाएगी एवं प्रदायक की अनुमोदित दर को निरस्त करते हुए जमा धरोहर राशि को जप्त कर तीन वर्षो के लिये प्रदायक को इस निगम के माध्यम से प्रदाय करने से वंचित किया जाएगा।

अतः यदि दरों में जिले में कोई भी विसंगति प्रकाश में आती है तो संबंधित जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक निगम मुख्यालय को सूचित करेंगे।

3. प्रदायगी की मुख्य शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

3.1 निगम द्वारा जो दरें अनुमोदित की गयी है वह एफ.ओ.आर. प्रदाय स्थल तक पहुचांकर सभी कर एवं परिवहन, व्यय सहित है एवं इसमें लोडिंग–अनलोडिंग का व्यय सम्मिलित है । उक्त दरें विभिन्न प्रकार के पैकिंग हेतु समान रहेंगी ।

3.2 जिला प्रबंधक प्राप्त प्रदाय आदेश की फोटो प्रति संलग्न कर संकर धान की किस्मवार अनुशंसा मुख्यालय को भेजेगें । **प्रदाय आदेश मुख्यालय द्वारा जारी किये जायेगें । मुख्यालय से आदेश जारी हाने के उपरांत ही प्रदायगी मान्य की जावेगी ।**

3.3 नोटीफाईड संकर बीज की किस्म का चयन क्रेता विभाग द्वारा किया जाएगा एवं प्रदाय आदेश में किस्म का उल्लेख किया जाएगा। बीजों की किस्म के चयन में निगम की कोई भूमिका नही होगी।

3.4 निगम द्वारा जारी आदेशानुसयार समय सीमा में सामग्री का प्रदाय निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से प्रदायक द्वारा किया जाएगा । समय सीमा के भीतर यदि सामग्री प्राप्त नही होती है तो ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग के अधिकारी की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही विलंब से प्राप्त कन्साईनमेंट को स्वीकार किया जाएगा।

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

3.5 क्रेता विभाग को संकर बीजों के प्रदाय करते समय प्राप्त सामग्री का शत प्रतिशत निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं क्रेता विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें प्राप्त बीज की किस्म, लाट नम्बर एवं प्राप्त मात्रा का उल्लेख उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से जारी कर एक प्रति प्रदायक को संतुष्टी रिपोर्ट के साथ दी जाएगी।

3.6 यदि प्रदाय किये गये बीज का सेम्पल लेना आवश्यक हो तो प्रदायक के प्रतिनिधि एवं निगम के जिला प्रबंधक की उपस्थिति में लिये गये सेम्पल को ही मान्य किया जाएगा।

3.7 सीड एक्ट 1966, सीड रूल्स 1968 एवं सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के प्रावधान के अनुसार जानकारियां प्रत्येक बीज के पैकेट पर दी जाना आवश्यक है जिसमें बीज की किस्म , अंकुरण का प्रतिशत, पैकिंग दिनांक, वेलिडिटी, पैकेज आफ प्रेक्टिस आदि आवश्यक जानकारी दी जाना आवश्यक है। बीज की वैधता प्रदाय दिनांक से न्यूनतम 6 माह होना आवश्यक है।

3.8. **गुणवत्ता :–**

अ. नोटिफाईड संकर बीजों के मापदण्ड केंद्र शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार होना आवश्यक है। नोटिफाईड संकर बीज जो निगम के माध्यम से क्रेता को प्रदाय की जावेगी, संबंधित प्रदायक एवं उत्पादक उस बीज की गुणवत्ता के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

ब. प्रदाय किये गये नोटिफाईड संकर बीज के अंकुरण/गुणवत्ता/फ्रूटिंग के संबंध में यदि किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला प्रबंधक का दायित्व है कि वे तत्काल इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय तथा संबंधित प्रदायकर्ता को देगें। प्रदायक द्वारा स्थल निरीक्षण कर शिकायत का नियमानुसार निराकरण किया जायेगा।

स. प्रदायक से प्राप्त बीज की गुणवत्ता की जांच किसी भी मान्यता प्राप्त लेब में निगम द्वारा कराई जा सकती है । जांच पर किये गये समस्त व्यय प्रदायक द्वारा वहन किये जावेगें।

3.9 भुगतान : रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्त क्रमांक 17 में उल्लिखित शर्तो की पूर्ति के उपरांत प्राप्त किये गये बीजों के देयक का भुगतान निगम के जिला कार्यालय द्वारा भुगतान पश्चात भुगतान के आधार पर प्रदायक को किया जाएगा।

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

प्रदाय किये गये बीज की प्राप्ति रिपोर्ट एवं भुगतान प्राप्त होने पर 80 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदायक को 30 दिवस में किया जाएगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संतुष्टी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 60 दिवस में किया जाएगा।

3.10 उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त आर सी ओ की सभी शर्ते यथारूप लागू रहेंगी। आर सी ओ की फोटोप्रति क्षेत्रीय प्रबंधक जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराऐंगे।

3.11 इस परिपत्र द्वारा जारी विभिन्न प्रदायकों की अनुबंधित दरें दिनांक 31.3.2020 एवं आगे की अवधि के लिये आगामी आदेश तक लागू रहेगी । दरों मे किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की दशा में मुख्यालय द्वारा तदनुसार सूचित किया जावेगा ।

3.12. उपरोक्त प्रदायकों के अतिरिक्त अन्य प्रदायकों द्वारा निगम से अनुबंध हस्ताक्षरित किये जाने की दशा में निगम द्वारा दरों का प्रसारण किया जा सकेगा।

3.13 उपरोक्त प्रसारण के बाद पूर्व वर्षो में प्रसारित दरें निरस्त की जाती है।

(signature)
उप महाप्रबंधक (उद्यान) 31/5/19

पृ. कमांक मुख्या/उद्यान/2019-20/877 भोपाल, दिनांक 31 मई 2018

प्रतिलिपिः-

1 स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग,मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया अनुमोदित दरों के प्रसारण पत्र का अवलोकन प्रमुख सचिव महोदय को कराने का कष्ट करे।
2. स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन,उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ। कृपया अनुमोदित दरों के प्रसारण पत्र का अवलोकन प्रमुख सचिव महोदय को कराने का कष्ट करे।
3. संचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक,किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग समस्त की ओर सूचनार्थ ।
5. संचालक, अनुसंधान सेंवाये ,कृ.वि.वि., जबलपुर /ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
6. मेसर्स ....(सर्व संबंधित) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(signature)
उप महाप्रबंधक (उद्यान)
31/5/19